



पूर्व मध्य रेल (निर्माण संगठन)

कार्यालय
उप मुख्य अभियंता/निर्माण
पूर्व मध्य रेल, सिंगरौली

पत्रांक :- DCE/CON/SGRL/Forest/915

दिनांक:- 03.04.2019

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल,
सिंगरौली, मध्य प्रदेश

विषय:- सिंगरौली जिले में करैला-सिंगरौली रेलवे लाईन के दोहरीकरण हेतु 21.404 (आवेदित क्षेत्र 20.791 हे0) हेक्टेयर वन भूमि सहायक अभियंता (निर्माण) पूर्व मध्य रेलवे, सिंगरौली को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- क्रमांक/एफ-5/852/2018/10-11/749 भोपाल, दिनांक-12.03.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के आवलोकनार्थ के पश्चात सुधार कर पुनः आपके पास अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

क्र० सं०	अवलोकन	अनुपालन
1.	शर्त क्रमांक 3(c) के पालन में लेख है कि प्रकरण में 07 वर्षीय योजना बनाई गई है। 07 वर्ष के स्थान पर 10 वर्षीय संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर तकनीकी स्वीकृति उपरांत वेबपोर्टल पर अपलोड करते हुए हार्डकॉपी इस कार्यालय को भिजवाये।	DFO कार्यालय से संबंधित।
2.	शर्त क्रमांक 4 एवं 5 के पालन में क्षतिपूर्ति वनीकरण एवं एन.पी.वी. की राशि आवेदक संस्थान से प्राप्त करने हेतु मांगपत्र वेबपोर्टल पर अपलोड करें एवं इस कार्यालय द्वारा ओके करने के उपरांत आवेदक संस्थान से ऑनलाईन राशि जमा कराई जावे।	क्षतिपूरक वनीकरण एवं एन.पी.वी. की राशि Rs. 3,35,48,333/- ऑनलाईन जमा कर दी गई है। चलान की कॉपी UTR क्रमांक के साथ संलग्न की जा रही है। तथा पर्यवेक्षण शुल्क हेतु Rs.-1636092/- की डी.डी. क्रमांक "849762" DFO के नाम तथा सिंगरौली में देय संलग्न किया जा रहा है।
3.	शर्त क्रमांक 5(b) के पालन में आवेदक संस्थान से एन0पी0व्ही0 वृद्धि हेतु वचन पत्र प्राप्त करें।	संलग्न है।
4.	शर्त क्रमांक 7 के पालन में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, सिंगरौली का प्रमाण पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को भेजे, ताकि उसे अपलोड किया जा सके।	संलग्न है।
5.	शर्त क्रमांक 28 के पालन में प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड किया जावे।	DFO कार्यालय से संबंधित।

- अनुलग्नक :-** i) डी.डी. मूल प्रति।
ii) चलान तथा UTR क्रमांक।
iii) वचनवद्धता प्रमाण पत्र।

प्रतिलिपि :- मुख्य इंजीनियर/मध्य/निर्माण को सूचनार्थ प्रेषित।

(राकेश कुमार)
उप मुख्य अभियंता/निर्माण
पूर्व मध्य रेलवे, सिंगरौली

(राकेश कुमार)
उप मुख्य अभियंता/निर्माण
पूर्व मध्य रेलवे, सिंगरौली

FORM-II

(for projects other than linear projects)
Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector SINGRAULI

No. 0118/FRA/TRIBAL/2019

SINGRAULI Dated 28.03.19

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) of the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 21.34 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of East Central Railway (Construction Department) Chief Engineer E.C. Railway /Singrauli MP dist- Singrauli of (Pnchayat - CHURKI & MOHALLA SABHA PIDARTALI) in compartment no PF 189 PF 256..

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 21.34 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committees(s), gram Sabha(s), & MOHALLA SABHA Sub-Division Level Forest Rights Committee, CHITRANGI & SINGRAULI are enclosed as annexure 1 (1-12) to annexure 2.(1-11)
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular / local language) have been placed before each concerned gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned gram Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and the details for proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram sabha of (Pnchayat - CHURKI & PIDARTALI) Sub-Division Level Forest Rights Committee, CHITRANGI, SINGRAULI, District level Forest Rights Committee, Singrauli and is enclosed annexure 3 (1-21) to annexure 4.(1)
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when There was a quorum of minimum 50% of the Members of Gram Sabha presence.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- (f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.As above.

[Signature]
28/03/19
Collector

DISSTT-SINGRAULI

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय रेलवे पूर्व मध्य रेलवे निर्माण संगठन, सिंगरौली द्वारा प्रस्तावित रेलवे लाईन के दोहरीकरण करने से प्रभावित 21.404 हे० आरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु माँग की गयी एन०पी०पी० की धनराशि की दर में भविष्य में भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान भारतीय रेलवे पूर्व मध्य रेलवे निर्माण संगठन, सिंगरौली द्वारा किया जायेगा।



संजय कुमार
सहायक अभियंता/निर्माण
पूर्व मध्य रेलवे, सिंगरौली